



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 अग्रहायण 1943 (श0)
(सं० पटना 960) पटना, मंगलवार, 23 नवम्बर 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर 2021

सं० 06/ड्राइविंग स्कूल (योजना)-30/2020/7326-नौसिखिये वाहन चालकों को वाहन चालन शिक्षण का अवसर देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु "मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान योजना" को विभागीय अधिसूचना संख्या-8296, दिनांक-02.12.2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसमें विभागीय अधिसूचना संख्या-6123, दिनांक-24.09.2021 के द्वारा कतिपय संशोधन किए गए हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 394(अ), दिनांक-07.06.2021 एवं इसे लागू किए जाने के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में अधिसूचना संख्या-8296, दिनांक-02.12.2020 में निम्न संशोधन किए जाते हैं:-

1. अधिसूचना कि कंडिका-17 में उल्लिखित शब्द "औरंगाबाद" को विलोपित किया जाता है।
2. अधिसूचना कि कंडिका-17 में उल्लिखित शब्द "कुल-26 (छब्बीस)" को "कुल-24 (चौबीस)" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. अधिसूचना कि कंडिका-18 में उल्लिखित अंक "61" को "59" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
4. शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सचिव,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 960-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>